मालसिंह बनाम भूमियाणी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्रा० पत्र 136 (R Act) प्र०सं० 14/2024

06-05-2025

वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील अखबारात होकर लौटी है। जो पत्रावली है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में मौके तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट ली जाने हेतु तहरीर अपेक्षा जारी होकर पत्रावली दिनांक 18-06-2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

993/रीडर
09-05-2025

18.06.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1712/भू.अ./2025 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 24.06.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

24.06.2025

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर बहस वकील प्रार्थी पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 [illegible] एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने [illegible] निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

2539/रीडर
08-07-2025

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
124 / 2024	2024 / 419	26.11.2024	24.06.2025

उनवान प्रकरण

मालसिंह पुत्र रामबक्स सिंह जाति राजपूत उम्र 80 साल निवासी ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हाल निवासी डी–8, विजय विहार कॉलोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी, जयपुर राजस्थान

––प्रार्थी––

बनाम्

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

––अप्रार्थी––

उपस्थितः–

श्री हनुमान राम सामोता, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस [illegible] कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का [illegible] अप्रार्थी [illegible] आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 4978, 4979 कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 हैक्टर तन् ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित होकर खातेदारी प्रार्थी के नाम से अंकित है। प्रार्थी ने अपने पिता की विरासत का नामान्तकरण खुलवाने बाबत पटवारी हल्का को दस्तावेज उपलब्ध करवाये तो उन्होनें खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम रामबक्स सिंह पुत्र धनसिंह होने की जानकारी दी तथा इसे न्यायालय से ठीक कराकर लाने हेतु कहे जाने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। धनसिंह रामबक्स सिंह का भाई है। इस कारण भी नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम रामबक्स सिंह पुत्र सांवल सिंह है परन्तु रिकार्ड में नाम दर्ज करते समय रामबक्स सिंह पुत्र सांवलसिंह के स्थान पर रामबक्स सिंह पुत्र धनसिंह दर्ज कर दिया जो शुद्धि किया जाना न्यायहित में है। उक्त अशुद्धि के कारण विरासत का नामान्तकरण भी नही खुल रहा है तथा इससे प्रार्थी सरकारी सुविधाओं से भी वंचित हो रहा है तथा खातेदारी से भी महरूम हो रहा है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम सही अंकित करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है तथा उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम संशोधित किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 4978, 4979 कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 हैक्टर तन् ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में रामबक्स सिंह पुत्र धनसिंह के स्थान पर रामबक्स सिंह पुत्र सांवल सिंह शुद्ध करने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट में पेश किया है।

इस पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का पेश करने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की नोटिस तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति [illegible] आवश्यक जॉच रिपोर्ट लिये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को [illegible] रीडर / 25 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा लिखा गया। जिसकी पालना मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:14 IST
Reason: SelfAttested

पत्रांक 1712/भू.अ./25 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :–

राजस्व ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 888 खसरा नम्बर 4978 रकबा 0.08 हैक्टर व खसरा नम्बर 4979 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 हैक्टर खातेदार रामबक्स सिंह पुत्र धनसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम झाडली की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073, 2046–2049, 2045–2048 में खसरा नम्बर 4978 रकबा 0.08 हैक्टर व खसरा नम्बर 4979 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 हैक्टर में काश्तकार का नाम रामबक्स सिंह पुत्र धनसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ग्राम झाड़ली के नामान्तकरण संख्या 233 आवंटन द्वारा दिनांक 31.05.1989 गैर खातेदारी से खातेदारी रामबक्स सिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत के नाम स्वीकार की गई है। वादी मालसिंह पुत्र रामबक्स सिंह जाति राजपूत के दादाजी का नाम मजमे आम में धन्नसिंह की जगह सांवलसिंह होना बताया गया। रामबक्ससिंह व धन्नसिंह दोनों सगे भाई होना अपनी रिपोर्ट में अंकित कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अभिशंषा की है।

वकील प्रार्थी ने प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, 2070–2073, 2066–2069, 2062–2065, 2058–2061, 2042, 2046–2049, 2050–2053, [illegible] की जमाबन्दियॉ, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल [illegible] राशन कार्ड की प्रति,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरपंच, ग्राम पंचायत झाडली द्वारा दिनांक 05.06.2025 को जारी प्रमाण पत्र, पटवारी हल्का झाडली की जॉच रिपोर्ट व फर्द मौका पर्चा रिपोर्ट व अभिशषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 4978 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 4979 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामबक्स सिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामबक्स सिंह पुत्र सांवल सिंह पटवारी हल्का झाडली व तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से प्रकट होता है। प्रार्थी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में भी प्रार्थी के पिता के नाम में मालसिंह पुत्र सांवल सिंह ही दर्ज होना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थी के पिता का उक्त नाम खातेदारी में आवंटन द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 233 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। धन्नासिंह रामबक्सासिंह का पिता ना होकर रामबक्सासिंह का सगा भाई होना तथा रामबक्सासिंह व धन्नासिंह का पिता का नाम सांवलसिंह होना तथा रामबक्स सिंह पुत्र धनसिंह के नाम से गांव में अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना पटवारी हल्का झाडली की फर्द मौका पर्चा रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कथन स्पष्ट अंकित किया है। पटवारी हल्का झाडली व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट से भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट में अंकित तथ्यों की [illegible] है। उक्त राजस्व रिकार्ड में हुई अशुद्धि को शुद्ध किये जाने की अभिशषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:14 IST
Reason: SelfAttested

की है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की प्राप्त अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे शुद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4978 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 4979 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 हैक्टर की खातेदारी में रामबक्स सिंह पुत्र धनसिंह के स्थान पर रामबक्स सिंह पुत्र सांवलसिंह शुद्ध कर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:14 IST
Reason: SelfAttested